MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the vesting in the Central Government of the properties of the Institution known as the Lady Hardinge Medical College for Women and Hospital for Women and Children, Delhi, and for the better administration thereof."

The motion was adopted.

SHRI D. P. KARMARKAR: Sir, I introduce the Bill.

THE BENGAL FINANCE (SALES TAX) (DELHI AMENDMENT) BILL, 1959

THE DEPUTY MINISTER OF FINANCE (SHRIMATI TARKESHWARI SINHA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Before I proceed to explain in brief the important changes proposed to be carried out in the Act, I would like to take the opportunity to say a few words about the necessity to make such changes.

Sales tax was first introduced in the Union Territory of Delhi in 1951 and the West Bengal law was adapted for this purpose. The working of the system in Delhi has been reviewed with reference to certain recent ments and the experience of the last seven years has shown that the changes are necessary. It has been therefore found necessary to amend the law so as to bring the sales tax structure in Delhi in line with the all-India pattern and also with the neighbouring States. I shall explain briefly the issues covered by the present amendments.

As Members may be aware, in November, 1957, it was decided at a Conference of the Union and State 16 RSD-4.

Finance Ministers that sales tax at a uniform rate of 7 per cent, should be levied on certain goods which called in common parlance 'luxury goods' and which are normally chased by the affluent section of the society. This decision has already been given effect to by all the State Governments except Bombay, Mysore, West Bengal and Jammu and Kashmir. These States are also expected to do so very shortly. It is desirable bring the Union Territory of Delhi also into line and this is proposed to be done by the present Bill.

The general rate of tax in Delhi is now one-half of an anna in the rupee. It is proposed to raise it to four Naye Paise which is the general rate in the neighbouring State of Punjab.

Coal, cotton, iron and steel, jute and oilseeds are not at present taxed in Delhi, while they are taxed in the neighbouring States of Punjab and U.P. There is no reason why they should be exempted in Delhi alone and it is proposed to levy a tax at the rate of two Naye Paise in the rupee on the sale of these goods.

Recently, the Supreme Court decided that it was not within the powers of a State Government to levy a sales tax on lump-sum works contracts. It is proposed to bring the position in Delhi in line with that in the States, although technically it is within the competence of the Union Government to levy the tax though not in the form of sales tax. This would not result in any appreciable loss of revenue as sales of materials to the contractors for the execution of works would be subject to tax in the ordinary course.

Tax at present is levied in Delhi on the last point of sale. It is proposed to assume powers to levy tax at a point other than the last point, as and when it is considered expedient to do so. This would enable the first point sales tax being levied in the case of certain commodities which are manufactured in factories and for which an organised trade channel exists. In regard to

[Shrimati Tarkeshwari Sinha.] this point, it was apprehended in the other House that the system of single point sales tax was proposed to changed to multipoint. I tried to allay the fears of the hon. Members in that House, and I may reiterate here that no change in the single point sales tax system or structure of Delhi is proposed to be made. By the proposed addition of the new section 5A in the Act it is sought to introduce some flexibility so that the single point tax may be levied at a point other than the last point of sale in suitable There had been a persistent demand from the trade for a first point levy of sales tax, and the change would not only facilitate administration of the Act but would also eliminate a large number of petty dealers from its scope, who find it difficult comply with the normal requirements of the law.

There is a lacuna in the existing law in that there is 'nο specific authority conferred on dealers collect tax on the sales from purchasers. Such a provision exists in many States Sales Tax Acts as also in the Central Sales Tax Act. 1956. This lacuna is now proposed to be filled in.

Sir, provision is also being made to enable sales tax authorities to impose penalties in case of defaults in payment of tax in time or for the deliberate suppression of turnover, etc. Authority is also being conferred on Commissioners of Sales Tax to refer any case to the High Court for decision on matters of law, a privilege now available only to the dealers.

The main purpose of the Amending Bill, as I mentioned earlier, is to bring the law in Delhi in line with developments which taken have place since the West Bengal Act was applied to Delhi and later amended by the former Delhi Legis-All the provisions are noncontroversial and I trust the House will accept the amendments posed.

Sir. I move.

Mr. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

SHRI PERATH NARAYANAN NAIR (Kerala): Mr. Chairman, Sir, as the hon. the Deputy Minister has pointed out, the object of the Bill is to bring the sales tax law now prevailing in Delhi in line with the all-India pattern and also in line with the developments that have taken place in the neighbouring States.

## [Mr. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

First of all I want to know. Sirthis matter concerns so because much the people of Delhi and trading community in Delhi-as what steps have been taken to ascerlocal opinion about measures-I mean the opinion of the dealers and the various trading sections-and also whether that Advisory Body which is generally consulted in regard to affairs pertaining to Delhi, whether that body had any opportunity to consider these various aspects. After all, since it is the local peoplewhom these taxation measures affect very deeply, they must have an opportunity to express themselves about the these things. Specially where representation allowed to Delhi Parliament is so meagre, on questions it would be better if vou are guided by competent opinion here. So, I want to know if local opinion has been taken—I do not find anything about it in the notes on clauses. At least a convention must be established hereafter that in respect of taxation measures and other measures which are of vital concern to the people of Delhi, they must have an opportunity to express themselves. There be some machinery devised whereby we can have the advantage of knowing their opinions also.

Now, Sir, in regard to one or two main things which this Bill contemplates I am in entire agreement, for example, a uniform rate to be levied throughout on items of special importance. Well, that decision is sought to be implemented so far as Delhi is concerned. And I am generally in favour of the provisions in this Bill. I welcome all that and again this question of sales tax at a uniform rate of 7 per cent, on what are called 'luxury goods', goods which are normally purchased by the affluent sections. We are informed, Sir, that there was a conference of the Finance Ministers of the various States in Delhi that this Schedule covering termed as 'luxury goods' was acceptgoing on through Schedule one is at a loss to know whether all those items listed really luxury goods. I do not want to go into all the items in the list, but then my own opinion is accessories with various regard to wiring and installation of electrical apparatus—even for lighting poses—that so many of these which have become essential articles have been included in that category. Now. you are extending electricity to rural areas and there is more and more rural electrification. Specially in our parts electricity is so common and for wiring purposes the accessories have become absolute necessities of life. I find these are included in luxury items. Not only that, even clocks and time-pieces. and in these days, to include them in luxury items will be not quite fair. So, my point in regard to luxury items is that the list requires to be scanned again, and certain items removed from them. I am not sure-I myself have not made a study of the whole list-I am sure if other items of common necessity are included in the list of luxury goods, but items such as time-pieces, clocks, the wiring apparatus and materials required in connection with electric wiring, all these things have to be taken from out of the list.

Another main feature of this Bill is that it seeks to raise the general rate of sales tax which was half an anna in the rupee, to four Naye Paise, and the only reason given is that the Government wants to bring the existing rate in line with the rate prevailing in the neighbouring State of Punjab. Now, Sir, this is brought about mainly because of the introduction of Naya Paisa. Formerly worked out to about 3.125 per or so. Now, if the object is simply to round it off to the nearest Naya Paisa, naturally 3 nP would have been quite all right. Instead of that ... it has been increased to 4 nP. Now, Sir, I do not think this is called for, simply because Punjab State has thought it right or wise to increase the like that, and from 3½ per goes to. 4 per cent, all because have chosen to introduce the Paisa system. Now, Sir, if the idea is to round it off to the nearest Naya Paisa, 3 nP is nearer to 3:125, and not And what other reason can you advance for this rounding off excepting the fact that some neighbouring State has chosen to adopt the higher Now, Sir, because figure?  $\mathbf{of}$ introduction of this Naya Paisa so many of our dealers and press magnates have chosen to profit at expense of the common consumers. You take so many items-I do not refer to postage stamps and other things—take newspapers. Now, Sir, newspapers which formerly used to be sold for one anna are now charged 7nP, and newspapers which sell at 2½ annas are now sold at 17 nP. So, it is almost a tax on the actual reading public, not only in regard to newspapers but in regard to items also, without the people knowing about it, without their being told that it was a fresh taxation measure. In effect the consuming public have been made to pay more. Now why is that, why the Government themselves are setting this example?  $\mathbf{B}\mathbf{y}$ action they are justifying the action of these various press magnates and other people who, just to profit at the expense of the common people, have

[Shri Perath Narayanan Nair.] increased the prices. Now, Sir, on principle also I object to that, and I do not know how we could hear how local opinion feels about it.

In regard to this Bill I do not know of any Supreme Court decision about their conduct and other things, but there are certain penal provisions in this Bill also giving so much power to the Commissioner and his tants as the assessing authority to call for the production of account books and other things. There are provisions in this Bill which make it possible for the Commissioner and his assistants to retain the account books period of fourteen davs more. That means all sorts of harassment to these people. Such penal provisions are not called for and I object to that also. But, my main point in regard to these things is that local opinion must be consulted. After all, occupies a promier position in commercial world not only as a trading centre but more as a distributing centre and manufacturing centre, and those sections, whom this Bill affects, their opinion—how they feel it-also must be taken into account. I am not sure if the Government have already consulted them, and if what their opinions are. It have been more helpful for us if we had that opinion before us before expressing our opinion on this matter.

श्रो निरंजन सिंह ( मध्य प्रदेश ) : उपसभापित महोदय, सब से पहले तो मैं मंत्री महोदय का इस पर ध्यान श्राकित करना चाहता हूं—कल ही इस सम्बन्ध में चर्ची हुई थी कि हम बहुत से अमेंडमेंट्स इसलिये भी लाते हैं कि अमेंडमेंट्स के लाते समय जो बहुत सी ग़लतियां होती है उनको भी हम सुधार लेते हैं —कि सब से बड़ी गलती तो मैं यह देखता हूं कि यूनियन टेरिटरी में तो यह बिल लागू होने वाला है श्रौर बंगाल फाइनेंस एक्ट के नाम से यहां प्रचलित है। नकल की जाती है, तो नकल में कम से कम सुधार भी हो जाता है। जब तक श्राप यह सुधार नहीं करते तब

तक यह मालुम पड़ता है कि म्राप में उतनी सोचने श्रीर समझने की भी ताक़त नहीं है। यह कहा जा सकता है कि हम ने पूरा का पूरा एक्ट बंगाल का ले लिया था इसलिये हम स्रभी तक उसको रिटेन कर रहे है । यह भ्रापकी खुबी नही है। एक तरफ तो भ्राप कहें कि पंजाब के एक्ट के समान लाने के लिये इस में संशोधन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही नाम जो सन १६४१ में यहां ग्राया, पास हो ? उस के बाद कितने एक्ट नहीं बन गये, सारे प्रान्तों में एक्ट ग्राये, उनको ग्रापने नहीं लाग किया, उनका नाम ग्रापने नहीं चलाया तो यह बंगाल फाइनेंस एक्ट के नाम से इसको क्यों चला रहे हैं? यह यूनियन टेरिटरी है, भ्राप सेंट्ल एक्ट बना सकते हैं , सेंट्ल एक्ट बना कर के सब जगह लगा सकते हैं। इसको एक सेंट्रल ऐक्ट कहते स्रौर यह कहते कि इसको दिल्ली प्राविस में, दिल्ली टेरिटरी में लगाना चाहते हैं तो यह ज्यादा ग्रच्छा होता बजाय इसके कि वही ग़लती की है। जिस वक्त ग्रसेम्बली बनी होगी, यह छोटी सी स्टेट होगी श्रौर उन्होंने सोचा होगा कि हम में इतनी बृद्धि नहीं है, हम सेलेक्ट कमेटी को नहीं भेज सकते, कई कठिनाइयां स्राई होंगी, जल्दी जल्दी उन्होंने बना लिया होगा श्रौर इसलिये उन्होंने कहा कि इन-टोटो इसको एडाप्ट कर लेना चाहिये । ग्रब जब ग्राप **अ**मेंडमेंट ला रहे हैं, तो आपको अमेडमेंट उस एक्ट के नाम में भी लाना चाहिये जिसको कि ग्राप यहां ला रहे हैं। कम से कम ऐसी फबती नकल की जाय कि दूनिया की नज़रों में छोटे न दिखें । श्राप से दूसरे गाइडेंस लेते हैं तो स्रापको दूसरों से गाइडेंस न लेना पड़े .

श्रं जस्पत राथ कपूर (उत्तर प्रदेश): जिसकी नकल करते हैं उसका ग्रहसान नहीं भूलना चाहिये।

श्रो निरंतन सिंह : वह तो कहा कि ग्रह-सान तो न भूलिये, पर ग्राप में उतनी ताकत समझने की सोचने की नहीं है, इसलिये ग्राप नकल कर रहे हैं ग्रौर वह ग्रहसान मानना चाहते हैं , बिल्क यह होना चाहिये कि ग्रापको श्रहसान प्राविसेज को मानना चाहिय कि ग्राप में इतनी बुद्धि ग्रौर सूझ है कि जो बिल, जो चीज देते हैं वह प्रान्त में जारे। जो बंगाल में भ्रमेंडमेंट भ्राये है उनको ही यहां एडाप्ट कर लीजिए तो फिर श्रौर यहां श्रमेंडमेंट करने की जुरूरत नहीं है। इसलिये मेरा कहना है कि जो गलती हो जाती है उसे सुधारना भी श्रावश्यक हो जाता है।

ग्रब रहा यह कि--जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा--ये जो फ़ाइनेंशल मेजर्स होते हैं उनको हमेशा पब्लिक ग्रोपीनियन के लिये भेजना चाहिये । पैसे की ग्रावश्यकता है, इसलिये पब्लिक स्रोपीनियन न ली जाय, यह सोचकर कर रहे होंगे परन्तु दिल्ली तो एक बहुत छोटा सा प्राविस है, अगर आप सब जगह भेज .देते, पब्लिक भ्रोपीनियन के लिये, तो मालुम पड़ जाता । मैं इसलिये यह कहना चाहता हूं कि शायद माननीय मंत्री जी के ध्यान में न हो कि व्यापार के लिये यदि एक जगह टैक्स कम लगता है ग्रौर एक जगह टैक्स ज्यादा लगता है तो जहां कम लगता है, वहां पर व्यापार ज्यादा बढ़ता है, वहां पर ज्यादा बिकी होती है ग्रौर गवर्नमेंट को पैसे का नुकसान नहीं होता, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे की ग्रामदनी होती है। तो इस नाते से जो ग्रपनी बहब्दी चाही है, ग्रपनी भलाई चाही है वह उस प्वांइट श्राफ व्य से दिखयेगा। श्राज श्रापने जो टैक्स लगाया है उस टैक्स के बारे में यह तो कहा कि जो पंजाब प्रान्त है, जिस से हम घिरे हुए हैं उस में यह टैक्स है इसलिये हमको ईक्वलाइज करना है, लेकिन म्रापने यह नहीं देखा कि दिल्ली से सारा मार्केट पंजाब का श्रौर यू० पी० का चलता है, जो ग्रास पास के हैं, ग्रौर यदि **ग्रापने यहां पर एक पैसे का या ग्राधा पैसा भी** कम टैक्स लगाया, तो सारा मार्केट यहां से चलेगा, बनिस्बत म्रापके एडज्वायनिग स्टेट के। होता क्या है कि जब टैक्स लगता है ---मैं ने कई बार इस बात के संबंध में कहा भी है — तो उस के लिये ग्रादमी, जिन के ऊपर यह टैक्स लगता है , इवेड करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि उनको प्राफिट कहां से होगा , उनको मार्केट कहां से मिलेगा , वे भ्रपनी चीज कहां फायदे से बेच सकते हैं श्रौर इस तरह से इवड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिये शाहदरा है, उसका उदाहरण लें लें । शाहदरा में ऋगर यहां से कम टैक्स होगा तो कपड़े का जो व्यापार है वह सारा व्यापार शाहदरा में होगा, वहां से कपडा पंजाब को भी जारेगा श्रौर यू० पी० को भी जायेगा । वह व्यापार ग्रापके दिल्ली में नहीं होगा क्योंकि शहादरा में उसके ऊपर इस तरह का सरप्लस टैक्स नहीं पड़ेगा जो कि यहां पड़ेगा । इसलिये सब से पहले टैक्स लगाने के सम्बन्ध में श्रापको यह देखना पड़ेगा कि उस से आप के यहां की लोकैलिटी पर ग्रफ़ैक्ट तो नहीं होता। जैसे कि बल्लभगढ है, बल्लभगढ़ में भी ज्यादा व्यापार हो सकता है, छोटे स्थान में ज्यादा व्यापार हो सकता है। दिल्ली में थोक व्यापार है, यहां से म्रादैमी सहलियत से माल ले जाता है, उसंको कठिनाई नहीं पड़ती, लेकिन ग्रगर कठिनाई पड़े तो फिर नहीं ले जा सकता । एक बार ऐसी जगह पर जो कोई भी व्यापारी ग्राता है वह यह सोच कर ग्राता है कि वह एक साथ दो, तीन, चार काम कर सके। कोर्ट का भी काम होता है । व्यापार का भी काम होता है श्रौर दूसरें तरह के धंधे होते हैं, तब उन सब को करने ग्रादमी ग्राता है। चार, पांच धन्धों को लेकर म्रादमी एक जगह म्राता है म्रौर श्रादमी को सहूलियतें देने के लिये सब चीजें देखी जाती है। तो जब तक ग्राप इस तरह से नहीं देखेंगे तब तक श्रापको पैसा नही मिलेगा। उपसभापति महोदय, होता यह है कि जब श्रापका व्यापार कम हो जायेगा तो स्वाभाविक है कि ग्रापकी इन्कम कम हो जायेगी। इस-लिये यह देखना भ्रापके लिये जरूरी है।

इस बिल को स्राप देखें। मुझे तो ताज्जुबर् इस बात का है कि यह सैंट्रल गवर्नमेंट का बिल है, सेंट्रल गवर्नर्नमेंट इसको यहां पर ला रही है ग्रौर इसलिये ग्रमेंड कर रही है कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स होना चाहिये, पर तारीफ की बात

## [श्री निरंजन सिंह]

यह है कि यहां यह प्रस्ताव पास हो जायेगा, बिल पास हो जायगा, यह एक्ट बन जायगा तब यहां के, दिल्ली के हमारे जो रहने वाले हैं उनकी किस्मत का फैसला कमिश्नर करेगा। यह नया सवाल नहीं है , मल्टी प्वाइंट सेल्स-टैक्स लगाना चाहिये ग्रौर कैसे लगाना चाँहिये इस के ऊपर सारे प्रान्तों में ग्रौर सारे हिन्दुस्तान में चर्चा चल रही है। कोई यह कहता है कि मल्टी प्वाइंट सेल्सटैक्स होना चाहिये भ्रौर कोई यह कहता है कि सिंगिल प्वाइंट सेल्सटैक्स होना चाहिये। दूसरे श्रादमी नुकसान न उठायें, इसालये सिंगिल प्वाइंट में हो हमारा टैक्सेशन होना चाहिये। श्रभी तक यह मसला न तो सेंट्रल गवर्नमेंट हल कर पाई है भ्रोरन प्रावितेज हो कर पाये हैं. इसलिए ग्राप एकदम से इस मसले का हल क अभिश्तर के हाथ से कराना चाहते हैं, जैसा चाहेगा वैसा करेगा । स्रगर किसी चीज पर एक प्वाइंट है, तो उसको दो प्वाइंट बढ़ा सकता है, तीन प्वाइंट बढ़ा सकता है, यह भी नहीं बताया है कि कितने प्वाइंट तक बढ़ा सकता है। सरकार जब छोटे से छोटे रूल्स भी बनाती है, तो हमारे सामने टेबिल पर रखतो है। छोटी सी बात करती है तो यहां परं हाउस को बताती है, लेकिन इस सम्बन्ध में सारा फैसला करने का हक कमिश्नर को दिया गयाहै । मै समझता हूं कि कमिश्नर ज्यादा होशियार होगा, ज्यादा उसको इस बात का श्रनुभव होगा । मै यह भो समझता हूं कि सरकार कमिश्नर को जो पावर दे रही है, यह बड़ी भारी भूल है। (Time bell rings.) मै जल्दी-जल्दी स्रपने प्वाइंटस कहे देता हूं।

जो १० (ए) नया क्लाज ग्राप जोड़ रहे हैं, उस में ग्राप यह देखेंगे कि जिसको राइट नहीं हैं उसके लिये पेनल्टी नहीं हैं। एक तरफ ग्रापने कानून बना दिया कि जो रिजस्टर्ड डीलर नहीं हैं, उसको राइट नहीं हैं ग्रौर दूसरी तरफ वह उस राइट कोजे लेता है; तो यह चीज साफ होनी चाहिये।

दूसरी चीज, जो खास कर के दी गई हैं।

१२ वें क्लाज़ में, उस में लिखा हुग्रा है कि जो श्रकाउंट्स पेपर *होंगे* उनको जमा किया जा सकता है। वे ''फ़ार सच पीरियड एज इट यिक्स फिट" यानी म्राफिसर के ऊपर डिसकेशन रखा गया है श्रौर कितने दिन तक का रखा गया है? नीचे के सबक्लाज में दिया हुन्ना है कि एक महीने तक वह रख सकता है। लेकिन जहां "एज इट थिक्स फिट " दिया हम्रा है उसका मतलब है साल भर, दो साल, तीन साल तक सारे के सारे पेपर्स , उसके खाते स्रौर बहियों को श्राप जमा कर लेंगे । तो ऐसी स्थिति में वह क्या करेगा ? ग्रगर वह दूसरी बही बनाये, तो उस में जल्दबाजी भी हो सकती है स्रोर हो सकता है कि स्राप यह कहें कि उसने बेईमानी की है। तो इस तरह के जो दो, तीन केसेज हैं, उनके ऊपर खास तौर से मुझे कहना था ।

श्रीमतों सावित्री निगम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, श्रामन्, इस छोटे से श्रमेंडमेंट बिल का मैं हार्दिक स्वागत करतो हूं। इस प्रकार के सेल्स टैक्स बिल के सम्बन्ध में श्रासपास के नेबरिंग एरियाज में यूनिकार्मिटी होती ही चाहिये।

श्रीमन्, जो भी ग्रन्य छोटे-छोटे सुधार किये गये हैं उनके विषय में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है, केवल शिड्यूल्स फर्स्ट, सेकेंड ग्रोर थर्ड के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि जिन चीजों को लग्जुरी गृड्स करार दिया गया है, उनको परिभाषा को फिर से दोहराया जाना चाहिये। कल तक या कुछ समय पहले तक जो चोजें लग्जुरी गृड्स की लिस्ट में ग्रा सकती थीं, वे ही ग्राज, इतने फास्ट गोइंग एज की जहरत को देखते हुए, नेसेसिटी की चीजें बन गई हैं।

श्रीमन्, दूसरी बात जिसको श्रोर मैं घ्यान दिलाना चाहती हूं, वह है नये-नये छोटे-छोटे उद्योग की चीजें, जिन पर यह सेल्स टैक्स लागू होगा, जो कि देश में नयी-नयी चल रही हैं। जैसे फैन्स हैं, बल्ब है, ऐसी चीजों को विदेशी चीजों के साथ बड़ा जबर्दस्त सामना करना पड़ता है। यदि

इनको इस प्रकार के सेल्स टैक्स से ग्रभी कुछ दिनों तक बचा दिया जाता तो बड़ी सुविधा रहती क्योंकि पंखा जिसकी स्राज कीमत १२५ रु० है उस पर करीब १० रु० तक सेल्स टैक्स का बढ़ जायगा । यह ग्राप जानते ही है कि हम लोगों की मेंटेलिटी ग्रभी भी कुछ ऐसी ही है कि चाहे देशी चीज कितनी भ्रच्छीं बनी हुई क्यों न ही लेकिन हर एक श्रादमी दुकान पर जाकर विदेशी चीज खरीदने की इच्छा प्रकट करता है, उसकी तरफ ज्यादा श्राकर्षित होता है । इसलिये किस प्रकार हम स्माल स्क्रेल इंडर्स्ट्राज की बनी इई वस्तुम्रों को संरक्षण देते हैं उसी तरह हमारे जो नये उद्योग है उनके द्वारा उत्पादित सामान ग्रथवा सामग्री को भी कुछ न कुछ 'प्रोटेक्शन हमें देना चाहिये । वह तभी हो सकता है जब शेड्यूल फर्स्ट, सेकेंड भ्रोर थर्ड में दी गई वस्तुग्रों की लिस्ट को फिर से ध्यानपूर्वक दोहराया जाये ।

श्रीमन्, थर्ड शिड्यूल में कोल इंक्लूडिंग कोक इन ग्राल इट्स फार्मस' पर दो नया पैसा का टैक्स लगाना निश्चित किया गया है। मैं समझती हूं कि मौजूदा कोल ग्रीर खास तौर से जो घरों में कोक इस्तेमाल होता है, उसकी बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए यह टैक्स लगाने का इरादा बहुत ज्यादा उचित नहीं है, इसका दबाव बिलकुल मध्यमवर्ग ग्रीर निम्न वर्ग के परिवारों पर ग्रिधक पड़ेगा। क्योंकि ग्राज भी पिछले दो, तीन महीनों से कोल की प्राइसेज बरावर तेजी से बढ़ती जा रही हैं।

श्रीमन्, एक बात मुझे श्रोर कहनी है। इसमें जो डिफाल्टर्स होंगे उनके लिये पेनाल्टी रखी गई है। यह ठीक है कि जो बड़े-बड़े दुकानदार हैं, जिनके पास काफी कर्मचारी लगे हुए हैं श्रौर वे सुचार रूप से उनके काम को करते हैं, उनके ऊपर यह सेनाल्टी लगाई जाये, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन श्रीमन्, बहुत से ऐसे छोटे-छोटे कुकानदार हैं जो विशेष पढ़े-लिखे नहीं होते,

उनको श्राम तौर से सेल्स टैक्स इंसपेक्टर बहुत हैरास करते हैं, झ्ठपूठ कह देते हैं तुम्हारा श्राठ हजार का या नो हजार का सेल हुश्रा । चूंकि वे दुकानदार स्वयं पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिये उनको वड़ी दिक्कत श्रौर कठिनाई उठानी पड़ती है । इसलिये यदि छोटे दुकानदारों के लिये बिकी की एक सीमा रख दी जाये श्रोर उनको श्रकाउन्ट्स सेटिल करने के लिये थोड़ा श्रधिक समय दिया जाये तो बहुत श्रच्छा रहता । इससे उनको कार्फा सुविधा मिल जाती ।

श्रीमन्, श्रभी एक भाई ने क्लाज १० के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ऐतराज उठाया था। उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो श्रादमं। गलत तरीके से टेक्स कलेक्ट करता है उसको किमिनल प्रोसीजर कोड के श्रनुसार बड़ी श्रासानी से सजा मिल सकती है। इसलिये इस ऐक्ट में विशेष रूप से उस श्रादमी को मजा दिलाने के वास्ते श्रगर कोई व्यवस्था नहीं को गई है जो कि गलत तरीके से सेल्स टेक्स उगाहता है, तो उससे कोई विशेष हानि होने वाली नहीं है।

्रश्रीमन्, इस विधियक का नाम बंगाल फाइनेंस (सेल्स टैंक्स) (दिल्ली अमेंडमेंट) बिल जो रखा गया है उसके सम्बन्ध में मैं भी यह सोचती हूं कि बहुत अच्छा होता यदि इस ऐक्ट की पूरी धाराओं की परिवर्तित करके उसे दिल्ली सेल्स टैक्स ऐक्ट का नाम दे दिया जाता और यदि अमेंडमेंट करने भी थे तो इतने लम्बे बनाने को विशेष आवश्यकता नहीं थी।

Shri P. S. RAJAGOPAL NAIDU (Madras): Mr. Deputy Chairman, Sir, one of the objects of this Bill is to refrain from levying sales tax on lump-sum works contracts although the levy on such contracts is permitted by law. There is a court decision in this connection in the case of Mittal and Company Vs. State of Delhi.

[Shri P. S. Rajagopal Naidu.]

Sir, I would like to make a few observations about the objects of this Bill. I am not able to know, when the Supreme Court permits it, why the Delhi State should not levy such a tax. In my opinion, Sir, the levy of such a tax on lump sum contracts will be an immense source of income to the State and if such taxes were to be levied, very many big contractors who are now able to escape this payment would not be able to escape the tax.

There is a very heavy building programme in Delhi. Lots of multistoreyed buildings are going up. find several big contractors in this town and it appears that if there is any construction programme in the country, it is in Delhi. Here we have got the largest building construction programme and if sales tax is not levied, particularly when it is permitted, under law, and the Supreme Court has also decided that such a tax can be levied on lump sum contracts, a good opportunity will be lost. I do not know why the Delhi State should not make use of this tax to augment its resources, particularly when this city happens to be a place where the largest and the heaviest construction are taking place. I do not know, Sir, the reason behind it.

Sir, if no sales tax is levied lump sum works contracts, what will happen? The big contractors would go and buy materials, say, for instance, iron, cement-it may be sand alsoand so many other requirements that are necessary for the construction of buildings, and it may be that they may have paid sales tax on these articles but that is not the why sales tax should not be levied on these lump sum contracts. It may be mentioned here that the Supreme Court held earlier that when taxes were paid for the several ingredients that go in the construction of a building, when sales tax was levied on these ingredients, no sales tax need be levied on these contract works. But the latest devision of the Supreme Court is that sales tax can be levied. If no sales tax on these contract work, is levied, I should say a golden egg will be lost. Leave off the construction of buildings. There are so many other works contracts. It may be that within Delhi State somebody will be erecting a huge industrial plant. It may be that he may locally fabricate the machinery or get them from several places outside and if it is his job to supply the machinery and erect the plant, such people will be escaping the payment of sales tax. I request the hon. Deputy Minister to carefully consider this point and to see that when it is such a good source of income to the State, that source is not thrown off.

Secondly, my friend Shri Narayanan Nair has been saying that if the increase is only with a view to rounding off the fraction of the payment of sales tax, why it should be increased from two pice to The object is not that. Naye Paise. The main object is with a view to 、 bringing it in conformity with rates of sales tax in the neighbouring State of Punjab. I know of several instances where particularly now it is happening that the tax that is levied by the Madras Government on purchase of motor cars is much more than the sales tax that. is levied by the Andhra Government on motor cars. So, persons would like to buy a motor car run to State of Andhra the neighbouring Pradesh, buy a car and have it registered there and use it in the Madras State and after three months pay another Rs. 30 or 40 and change the number. Thus they save about Rs. 500 on the purchase of each car. That was happening even six months back. Similarly, if there is variation in the levy of sales tax between Delhi and the neighbouring Punjab State, if there is anything which cheap there, the Delhi people can go to Punjab, buy it and bring it here.

SHRI NIRANJAN SINGH: U.P. is also a neighbouring State.

SHRI P. S. RAJAGOPAL NAIDU: I agree that U.P. also will have to be

considered but the object is, it is said, to bring it in conformity with rates in Punjab. I don't see there should be any objection any quarter about this particularly when Delhi happens to be a small State and it has to depend for everything on the neighbouring States. So, it is all the more the reason why it should be in conformity neighbouring with the rates in the State.

With regard to luxury goods, thought my hon. friend Shri Perath Narayanan Nair would support the object but I was surprised that he was opposing the increase of sales tax on luxury goods. I was really surprised to hear such a thing from him.

SHRI PERATH NARAYANAN NAIR: I did not oppose suggested that certain items required to be removed from that list bulbs, wiring, also timeelectric pieces and such other items. I never objected to the rate of 7 per cent. on luxury goods as such.

SHRI P. S. RAJAGOPAL NAIDU: If he has not opposed it, it is all right. But my friend's opposition with regard to the increase of sales tax to bring it in conformity with the sales tax that is there in Punjab is there and I am opposed to that view of his.

With these few words, I heartily commend this Bill to the House.

श्री हर प्रसाद सक्सेना (उत्तर प्रदेश): जनाब नायब सदर, मेरे एक दोस्त ने, एक मित्र ने ग्रभी मुझसे ग्राकर यह कहा कि में श्राज श्रंग्रेजीं में तकरीर न करूं बल्कि हिन्द्स्तानी में करूं क्योंकि मुझे ोनों जबानों में, दोनों भाषात्रों में तकरीर करना श्राता है। लिहाजा, मैंने उनसे कहा कि म्रापको तकलीफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैने तो पहले ही यह तय कर लिया है कि श्राज मै हिन्दुस्तानी में बातचीत करूंगा।

मझे दोनों साबिका ग्रानरेबिल स्पीकरों से इत्तिफाक है-खासतौर से श्री निरंजन सिंह से, जिन्होंने यह कहा कि इस बिल का नाम गलत रखा,गया है। जैसा कि इस बिल का नाम बंगाल फाइनेंस (सेल्स टैक्स) (दिल्ली अमेंडमेंट) बिल है। लेकिन इस नाम से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह तो सेन्ट्रल एक्ट है ग्रौर इसमें बंगाल का नाम लेने, मद्रास का नाम लेने,पंजाब का नाम लेने या य० पी० का नाम लेने की जरूरत नहीं है। यह तो सेन्टर को इंडिपेंडेंट राय कायम करके ग्रपनी हैसियत से, मरकज की हैसियत से, इसका नाम तजवीज करके रखना चाहिये था। मै उनके इस सुझाव को, इस सजेशन को पूरे तौर पर मंजुर करता हूं ग्रौर मैं समझता हूं कि ग्रभी भी ग्रगर कोई दिक्कत न हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई दुश्वारी न हो, तो यह नाम बदला जा सकता है। नाम के बदलने में कोई मुश्किल नहीं है। हम बहुत दिनों तक लड़के को कहते रहे "मुन्ना" श्रौर उसके बाद कहने लगे "चुन्ना", तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

दूसरी बात जो मेरी दोस्त मिसेज निगम ने कही कि यह जो टेंडेंसी है, यह जो रुझान है, कि जब चाहा टैक्स लगा दिया, जब चाहा टैक्स बढ़ा दिया, तो इसमें बहुत देखभाल की जरूरत है। दियासलाई पर टैक्स बढा दिया, मिट्टी के तेल पर टैक्स बढ़ा दिया, यह बढ़ा दिया, वह बढ़ा दिया, तो ये ची जें ऐसी हैं जो गरीब श्रादिमयों से ताल्लुक रखती है ग्रौर इन चीजों पर सोच समझकर जबतक इन्तहाई जरूरत न हो, तबतक टैक्स नहीं लगाना चाहिये। भ्राखिर हम लोग मरकजी हक्मत से ताल्लुक रखते ह, हमें कुछ तो गरीबों की जिन्दगी का खयाल रखना चाहिये । उनके लिये कोई चीज तो ऐसी रखी जानी चाहिये जिसको **वे**ं श्रासानी से मामुली तौर पर श्रपने इस्तेमाल में ला सकें, खरीद सकें ग्रीर हकुमत को धन्य-

## [श्री हर प्रसाद सबसेना]

वाद दें। हुकूमत को ऐसा काम नहीं करना चाहिये कि वे धन्यवाद देने के बजाय उसको कोसते रहें।

श्री श्रीलभद याजी (बिहार) : इस व्तरह की ग्रासानी तथा सुविधा देने से लोग स्नो पाउडर खरीदने लगेंगे ।

श्री हर प्रसाद सक्सेना: मैं कम सूनने लगा हू, लिहाजा मजबूर हूं श्रपने दोस्त याजी जी को जवाब देने में, लिहाजा नहीं दे सकता। मुनासिब यह होगा कि वे मुझसे बाहर बात कर लें।

मेरे दोस्त श्री नायडू ने जो गोल्डेन एग की बात कही वह मेरी समझ में नहीं श्राई। मगर मालूम यह पड़ता है कि वे रुपया निकालने में श्रीर फाइनेंस में बहुत एक्सपर्ट हैं तो मैं यह सिफारिश करूंगा, ग्रगर मेरी सिफारिश की कोई वकत हो कि नायडू साहब को—चूंकि उनकी गोल्डन एग की पालिसी है—फाइनेंस में लेलिया जाये श्रीर उनकी सलाह से काम लिया जाये तो बहुत श्रच्छा होगा क्योंकि हुकूमत गोल्डन एग की बात किया करती है।

लग्जरी गृड्स के बारे में मिसेज निगम ने टैक्स बढ़ाने या लगाने के बारे में जो जिक किया, मैं उसके बारे में पूरी तौर से मुत्तिफ हूं और सहमत हूं। इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा टक्स लगाया जा सकता है। लेकिन बेयर सस्टेनेंस की बात छोड़ दें, वह तो फी होनी चाहिये। पहले फूड ग्रेन्स पर जो सेल्स टैक्स लिया जाता था वह ग्रव नहीं लिया जाता है। कम से कम लखनऊ का हाल मैं जानता हूं, वहां नहीं लिया जाता है। हालांकि मैं फेयर प्राइस शाप्स में पालियामेंट के मेम्बर होने की हैसियत से नहीं जाता हूं क्योंकि मेरी सैलरी इतनी है कि मुझे वहां से चीजें लेने का हक नहीं है। इस चीज से बहस नहीं है, सवाल यह है कि टैक्स लगाने की जो

टेंडेंसी है, जो मनोवृति है उसको घटानी चाहिये। जहां पर जरूरी हो, जहां पर इन्तहाई जरूरी हो, उसी पर टैक्स लगाना चाहिये और इस बिल के नाम को बदल देना चाहिये।

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: You will reply at 2:30.

The House now stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled aften lunch at half past two of the clock, Mr. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

REFERENCE TO PAPERS CIRCU-LATED REGARDING ALLEGATIONS AGAINST SHRI M. O. MATHAI

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Sir, we have got a report circulated to us in the lunch-hour...

PANDIT S. S. N. TANKHA (Uttar Pradesh): May I say . . .

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: We are in the midst of some other business. We are on another business now . . .

SHRI BHUPESH GUPTA: When I want to say something . . .

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: Not now.

SHRI BHUPESH GUPTA: Then you say when. You tell me now at least when I can. This is a farcical thing. We do not have even the Vishnu Sahay Report. . .

Mr. DEPUTY CHAIRMAN: We have got other business now.

SHRI BHUPESH GUPTA: We have not got the Vishnu Sahay Report . .